कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक- 2074 /12-1 , कोटबंगला दिनांक 09 /01 /2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खालसी मोटर मार्ग से गढ़वाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.681 है0 सिविल वन भूमि को गैर वानिकी कर्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/9575/2015**

सन्दर्भ :- **अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी का पत्रांक–1434/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0 दिनांक 14.12.2016**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी ने विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत की है।

अतः शर्तो की अनुपालन आख्या विषयगत प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति के प्राप्ति हेतु अग्रसारित की जाती है।

क्र.सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.362 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.362 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 6,96,800.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, व विषयगत मार्ग हेतु ली गई 2.681 हे0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 5.362 हे0 हेतु चयनित स्थल ग्राम मसोन तहसील–डुण्डा खसरा संख्या–425 रकवा 3.132 हे0 तथा खसरा नं0–465 रकवा–2.717 कुल रकवा–5.489 हे0 मे से 5.362 हे0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षा तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण हेतु 18,00,000.00 की धनराशि जमा करा दी गई है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वि0 की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वार रू0 17,61,417.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

4	प्रयोक्ता अभिकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीसन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0 बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है, कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है, तो एन0पी0वी0 की बढी धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑन–लाइन कर दिया गया है तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा R.T.R.S चालान के माध्यम से Corporation Bank शाखा नई दिल्ली के खाता सं0–037100101025229 IFSC CODE-CORP0000371 रू0 42,58,217.00 जमा करा दिये गये है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में अपलोड कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में अपलोड कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा, प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र (वन संरक्षण अधिनियम 1980) के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

D/man
11.01.17
Ex/Eng

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।